



## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

### NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-882/JH/14/2023-SSW

दिनांक: 25/05/2023


1. श्रीमती नैसी सहाय  
उपायुक्त, जिला-हजारीबाग  
हजारीबाग (झारखंड) 825301  
(Ph No. 06540-224805)  
(Email Id: [dc-haz@nic.in](mailto:dc-haz@nic.in))

2. श्री आदित्य रंजन  
उपायुक्त, जिला-कोडरमा-  
कोडरमा (झारखंड) 825410  
(Ph No. 06534-252343)  
(Email Id: [dc-kod@nic.in](mailto:dc-kod@nic.in))

**विषय:** अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को पदोन्नति न देने के संबंध में - श्री नीरज कुमार, महासचिव झारखंड प्रदेश, जिला-हजारीबाग झारखंड का दिनांक 07.03.2022 का अभ्यावेदन।


चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को Neeraj Kumar से दिनांक 07/03/2022 में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

  
(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)  
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer  
Ph No. 011-24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री नीरज कुमार,  
General Secretary, All India SCs & STs Backward Classes Employees' Co-ordination Council,  
लालबंगला पोस्ट-चरही,  
जिला-हजारीबाग-825336  
(Mobile No: 9430780195)

 NIC, NCST (please upload on the website)